न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 47/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– रसीद पुत्र श्री रहमता जाति मेव निवासी ग्राम ग्वालदा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

—— अपीलान्टान

बनाम्

1. अमित शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 3 सैक्टर–19, फरीदाबाद (हरियाणा)
2. श्रीमान तहसीलदार, पैरोकार भुमिधारी, तिजारा जिला अलवर
3. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, बी0आर0के0जी0बी0 शाखा टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर

—— रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, तिजारा दिनांक–17.03.2017 तथा प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 05.04.2018

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री दिनेश कुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0–1 :– श्री पिंटू जैन

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय

दिनांक– 15.04.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा द्वारा प्रकरण संख्या 12/2018 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 के खिलाफ है, जिसके द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 खारिज किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अमित ने तहत अदालत में आराजी हाल खसरा नं0 233, 235, 236 वाके ग्राम गुवालदा तह0 तिजारा की बाबत तकासमा वाद सं0 194/2016 पेश किया। उक्त वाद में दिनांक 17.03.2017 को अंतिम डिक्री पारित हुई। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 01 रसीद ने तहत अदालत में अपनी इकतरफा खुलवाने के लिए प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 पेश किया, जो दिनांक 05.04.2018 को खारिज किया गया था। तहत अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 05.04.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी नम्बर 01 रसीद ने यह अपील पेश की है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने मुझ पर सम्यक तामील नहीं कराई। मुझे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वादी अन्य प्रतिवादीगण से साजबाज हो गये । कुर्रे कायमी की मुझे सूचना नहीं दी। मेरी फर्जी तामील कराई गई है। तामीलकुनिन्दा मेरे घर आया ही नहीं। मेरे प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 के तथ्य बखूबी साबित थे, परन्तु गलत तौर पर प्रा0 पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे।

4. जवाब विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 01 का कथन है कि इनकी सम्यक तामील हुई है। परन्तु इन्होंने जानबूझकर पैरवी नहीं की। कुर्रे कायमी की भी इनको जानकारी थी, परन्तु ये मौके पर उपस्थित नहीं हुए । जब सम्यक तामील हो चुकी थी तो फिर ऐसी स्थिति में इनका प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। प्रस्तुत अपील तहत अदालत द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 पर पारित आदेश के खिलाफ है। इस अपील का निस्तारण करने हेतु हमें यह देखना है कि अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 01 की सम्यक रूप से तामील हुई अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में प्रतिवादी के निमित्त नोटिस/समनो का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण कें समनों पर तामीलकुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि "घर पर मौजूद है, तामील से साफ मना किया, एक प्रति नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया।" प्रतिवादीगण की तामील कराने में आदेश 5 के नियमों की पालना नहीं की गई है। जिन गवाहों की नोटिस पर गवाही कराई गई है। उनका पता अंकित नहीं किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गया है। जबकी सी0पी0सी0 के आदेश 5 के नियमों के अनुसार गवाहों का पूर्ण पता तामिलकुनिन्दा द्वारा नोटिस पर अंकित किया जाना चाहिये। इतना ही नहीं, तहत अदालत द्वारा तामीलकुनिन्दा की प्रतिपरिक्षा भी नहीं कराई गई है। जबकि सी0पी0सी के आदेश 5 के नियमों में तामीलकुनिन्दा की प्रतिपरीक्षा कराये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी की तामील सम्यक रूप से नहीं हुई है। लिहाजा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी0पी0सी0 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2018 तथा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.03.2017 निरस्त किये जाते है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो उभयपक्षों की मौजूदगी में स्वयं तहसीलदार से कुर्रे कायमी तैयार करावें। तत्पश्चात उभयपक्ष की आपत्ति लेकर उनकी सुनवाई कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 25.6.21 को उपस्थित हों।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

15/4/2021

(अशोक कुमार सांखला)

भू–प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर